न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर (नैनीताल)।

पीठासीन अधिकारीः— कुलदीप शर्मा,
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

फौ0वा0सं0—495 / 2012

उपप्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी रेंज, कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान, रामनगर जिला—नैनीताल।
.....परिवादी।

बनाम्

1—रमेश बागड़ी पुत्र श्री दरिया
निवासी ग्राम—वासूदेवपुरा थाना पिजोर जिला पंचकूला (हरियाणा)
2—गिनिया पुत्र श्री भावरा बागड़ी
निवासी ग्राम—कालका रामवाग जिला पंचकूला (हरियाणा)
3—तारा चन्द्र बागड़ी पुत्र श्री जुगलाल
निवासी ग्राम—वासूदेवपुरा थाना पिजोर जिला पंचकूला (हरियाणा)
4—दरिया पुत्र श्री जुगलाल
निवासी ग्राम—वासूदेवपुरा थाना पिजोर जिला पंचकूला (हरियाणा)
5—बालकू पुत्र श्री फकीरिया
निवासी—मनाना थाना सिमालका जिला पानीपत (हरियाणा)
6—गोपी पुत्र श्री फकीरिया
निवासी—मनाना थाना सिमालका जिला पानीपत (हरियाणा)
7—प्रिया पुत्र श्री चन्दगीराम
निवासी—खाड़ापट्टी तहसील कालका जिला पंचकूला (हरियाणा)
8—रियासत उर्फ मलखान
निवासी—गूलरघट्टी रामनगर थाना रामनगर (नैनीताल)
..... अभियुक्तगण।

धारा—51, 51 (1ग), 52 सपिठत धारा—2, (16ख) 9, 27, 35, 38 ***v-4 (1)***, 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
थाना—रामनगर (नैनीताल)।

—निर्णय—

1— परिवादी प्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी रेंज, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान द्वारा प्रस्तुत परिवाद, अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया, तारा चन्द्र, दरिया, बालकू गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान के विरूद्व धारा—51, 51 (1ग), 52

सपठित धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संस्थित किया है।

2– परिवाद–पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05–06–2012 को दोपहर 12.00 बजे मुखविर की सूचना पर वन कर्मीगण रेंजर राकेश भट्ट, वन दरोगा मथुरा सिंह मावड़ी, वन दरोगा निर्मल कुमार पाण्डे तथा वन रक्षक धर्मपाल सिंह द्वारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सावल्दे ब्लॉक कक्ष सं0–2 में समय लगभग 5.30 बजे गश्त के दौरान आठ व्यक्तियों को देखा। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे जाने पर यह प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति सब्बल की मद्द से वन्य जीवो के आवागमन हेतु प्रयोग किये जाने वाली वटिया में कुछ वस्तु डाल रहा है। उपरोक्त वन कर्मीगण द्वारा घेराबन्दी की गई और घटना स्थल पर ही अभियुक्तगण रमेश, गिनिया और तारा चन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि अन्य पॉच व्यक्तियों के नाम गोपी, बालकू, प्रिया, रियासत उर्फ मलखान एवं दरिया है।

3– न्यायालय आदेश दिनांकित 04–08–2012 द्वारा अभियुक्तगण दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान को धारा–51, 51 (1ग), 52 सपिठत धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया। जबकि अभियुक्तगण रमेश, गिनिया व तारा चन्द्र न्यायिक अभिरक्षा में थें।

4– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया, तारा चन्द्र, दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट, अन्य प्रपत्रों तथा सी0डब्लू0–1 धर्मपाल सिंह नेगी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया, तारा चन्द्र, दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान के विरूद्व आरोप अन्तर्गत धारा–51, 51 (1ग), 52 सपिठत धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 विरचित किये गये। आरोप से अभियुक्तगण द्वारा इंकार करते हुए मामले में विचारण की प्रार्थना की गई।

5– परिवादी की ओर से परिवाद कथानक के समर्थन में पी0डब्लू0–1 वन आरक्षी धर्मपाल सिंह नेगी, पी0डब्लू0–2 वन दरोगा मथुरा सिंह मावड़ी,

पी0डब्लू0–3 वनक्षेत्राधिकारी राकेश कुमार भट्ट, पी0डब्लू0–4 वन दरोगा निर्मल कुमार, पी0डब्लू0–5 उपप्रभागीय वनाधिकारी उमेश चन्द्र तिवाड़ी तथा पी0डब्लू0–6 उप्रभागीय वनाधिकारी सतीश चन्द्र उपाध्याय को न्यायालय में परीक्षित कराया। पी0डब्लू0–1 धर्मपाल सिंह नेगी ने साक्ष्य के दौरान फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी मैमो प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, एच–2 प्रदर्श क–4 को साबित किया। पी0डब्लू0–2 मथुरा सिंह मावड़ी ने मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 धर्मपाल सिहं नेगी के अभिकथनों का समर्थन करते हुए पुनरोच्चारण किया। पी0डब्लू0–3 राकेश कुमार भट्ट ने साक्ष्य के दौरान नमूना सील मोहर प्रदर्श क–5, नक्शा प्रदर्श क–6, शिकायती पत्र प्रदर्श क–7 को साबित किया। पी0डब्लू0–4 निर्मल कुमार पाण्डे ने साक्ष्य के दौरान बरामद माल वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–13 को साबित किया। पी0डब्लू0–5 उमेश चन्द्र तिवाड़ी ने साक्ष्य के दौरान जॉच रिपोर्ट प्रदर्श क–8, अधिसूचना प्रपत्र प्रदर्श क–9 को साबित किया। पी0डब्लू0–6 सतीश चन्द्र उपाध्याय ने साक्ष्य के दौरान परिवाद–पत्र प्रदर्श क–10 को साबित किया।

6– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया, तारा चन्द्र, दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान के बयान अन्तर्गत धारा–313 जा0फौ0 दर्ज किये गये, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा परिवाद कथानक से इंकार करते हुए सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया तथा परिवादी साक्षियों के बयानों को नकार दिया।

7– मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

8– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया, तारा चन्द्र, दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया एवम् रियासत उर्फ मलखान का विचारण धारा–51, 51 *(1ग)*, 52 सपिठत धारा–2, *(16ख)* 9, 27, 35, 38 *v-4 (1)*, 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन किया गया।

9– परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी द्वारा समस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पी0डब्लू0–1 वन आरक्षी धर्मपाल सिंह नेगी, पी0डब्लू0–2 वन दरोगा मथुरा सिंह मावड़ी, पी0डब्लू0–3 वनक्षेत्राधिकारी राकेश कुमार भट्ट, पी0डब्लू0–4 वन दरोगा निर्मल कुमार का परीक्षण कराया है।

10— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने बहस के दौरान यह कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान का कोई योगदान नहीं है।

11— मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि घटना स्थल पर अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना स्थल पर किसी भी वन कर्मी ने अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान को नहीं पहचाना था। अपराध के जॉच अधिकारी ने अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान की शिनाख्त जॉच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से नहीं करवायी गयी है। ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तार अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान को दोषसिद्व किया जाना न्याय संगत नहीं होगा।

12— न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण रमेश, गिनिया एवं तारा चन्द्र ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान भी घटना के समय उनके साथ मौजूद थें। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान अपराध अन्तर्गत धारा—51, 51 *(1ग)*, 52 सपिठत धारा—2, *(16ख)* 9, 27, 35, 38 *v-4 (1)*, 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से दोष—मुक्त किये जाने योग्य हैं।

13— जहॉ तक अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र का अपराध के सम्बन्ध में योगदान का प्रश्न है। अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र को वन कर्मियों ने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सावल्दे कक्ष सं0—2 से गिरफ्तार किया है। परिवादी की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पी0डब्लू0—1 वन आरक्षी धर्मपाल सिंह नेगी, पी0डब्लू0—2 वन दरोगा मथुरा सिंह मावड़ी, पी0डब्लू0—3 वनक्षेत्राधिकारी राकेश कुमार भट्ट, पी0डब्लू0—4 वन दरोगा निर्मल कुमार ने परिवाद कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिकथन परस्पर सम्पोषक हैं तथा पूर्ण रूप से विश्वसनीय हैं।

14– पी0डब्लू0–1 वन आरक्षी धर्मपाल सिंह नेगी ने मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि दिनांक 05–06–2012 समय 5.30 बजे सायं सावल्दे कक्ष सं0–2 से अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल पर ही अभियुक्तगण उपरोक्त की निशानदेही पर वन्य जीवों के आवागमन हेतु प्रयोग की जाने वाली वटिया में लगा एक लोहे का खड़का, एक खड़का चैन, एक लोहे का सब्बल, पोटली के अन्दर से एक लोहे का खड़का और बांस के दो लट्ठे (लम्बाई 5 फिट) बरामद किये गये। जिनका प्रयोग अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वन्य जीवों के आखेट हेतु किया जा रहा था। पी0डब्लू0–2 मथुरा सिंह मावड़ी, पी0डब्लू0–3 राकेश कुमार एवं पी0डब्लू0–4 निर्मल कुमार ने भी पी0डब्लू0–1 धर्मपाल सिंह नेगी के अभिकथनों का समर्थन करते हुए घटना का पुनरोच्चारण किया है।

15– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में श्रमिकों को साक्षी नहीं बनाया गया है। जबकि वह घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित थे।

16– धारा–134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 यह उपबन्ध करती है कि–किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

17– ***न्याय निर्णय वेदिवलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 614*** में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है।

18– **महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश निवसुत्ती भौनारे (1997) 2 क्राइम्स 257 (बाम्बे)** में यह अवधारित किया गया है कि साक्ष्य का परिशीलन किये जाने के सम्बन्ध में यह सुप्रतिष्ठित सिद्वांत है कि साक्ष्य का आंकलन किया जाना चाहिए, साक्षियों की संख्या की गणना नहीं की जानी चाहिए।

19– ***मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लल्लू मांझी बनाम झारखण्ड ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 854*** में यह अवधारित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह अपेक्षा नहीं रखती है कि किसी एक तथ्य को प्रमाणित किये जाने के लिए किसी निश्चित संख्या में साक्षियों का परीक्षण कराया जाना चाहिए। न्यायालय किसी एकल साक्षी के साक्ष्य को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकती है:–

1— पूर्णतः विश्वसनीय

2— पूर्णतः अविश्वसनीय

3— ना ही पूर्णतः विश्वसनीय ना ही पूर्णतः अविश्वसनीय

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि जहॉ श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 के साक्ष्य में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, वहीं श्रेणी–3 के साक्ष्य में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सारवान बिन्दुओं पर सम्पोषक साक्ष्य के माध्यम से विचार करे।

20— चूँकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि घटना के सम्बन्ध में श्रमिको को साक्षी नहीं बनाये जाने के कारण अभियुक्तगण दोष–मुक्त किये जाने योग्य है।

21— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि फर्द बरामदगी पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों धर्मपाल सिंह नेगी और मथुरा सिंह माबड़ी के ही हस्ताक्षर अंकित करवाये गये हैं। राकेश भट्ट और निर्मल कुमार पाण्डे के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं।

22— परन्तु पी0डब्लू0–4 निर्मल कुमार पाण्डे ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया है कि "घटना के उपरान्त घटना स्थल पर लिखा पढ़ी करने में अंधेरा हो गया था। इसलिए जल्दबाजी के कारण मैं अपने हस्ताक्षर नहीं कर सका।" इस प्रकार फर्द बरामदगी पर निर्मल कुमार पाण्डे के हस्ताक्षर नहीं किये जाने का पर्याप्त कारण प्रकट किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि फर्द बरामदगी पर साक्षियों के हस्ताक्षर के अभाव में अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र दोष–मुक्त किये जाने योग्य हैं।

23— इस प्रकार उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुॅचती है कि अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र द्वारा वन्य जीवों के आखेट हेतु कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सावल्दे कक्ष सं0–2 में खड़का लगाया।

24— धारा–2 (16) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यह उपबन्ध करती है कि–व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित "आखेट" के अन्तर्गत–

क– किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न।

ख– किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फांसना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न।

ग– किसी ऐसे प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, या नष्ट करना या लेना अथवा अन्य पक्षियों या सरीसृपों की दशा में ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों को नुकसान पहुंचाना अथवा ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों या घोंसलों को गड़बड़ाना आता है।

25– परिवादी साक्ष्य के परिशीलन से यह सिद्व हो चुका है कि अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र द्वारा घटना स्थल पर वन्य जीवों के आखेट के प्रयोजन से खड़का लगा दिया था। इस प्रकार उनके द्वारा वन्य जीवों का आखेट करने की तैयारी के उपरान्त ऐसा कार्य किया, जो अपराध के प्रयास की श्रेणी में आता है।

26– धारा–2 (16) (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार वन्य प्राणी को फन्दे में पकड़ना, जाल में फंसाना, हांका लगाना ऐसा करने का प्रयत्न करना (आखेट) है। चूँकि अभियुक्तगण द्वारा वन्य प्राणियों के शिकार के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सावल्दे कक्ष सं0–2 में खड़का लगाया। अतः अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र का यह कृत्य धारा–2 (16) (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार (आखेट) है।

27– अतः अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र धारा–51 सपठित धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध में दोषसिद्व किये जाने योग्य हैं।

28– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र को धारा–51 सपठित धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध में दोषसिद्व किया जाता है।

29– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुनने के

पश्चात् दण्डित किया जाएगा।

Kuldeep Sharma
(कुलदीप शर्मा), 22.10.13
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर (नैनीताल)।

दिनांकः–22 अक्टूबर, 2013

अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त रमेश बागड़ी द्वारा सजा के प्रश्न पर कथन किया गया कि वह रामनगर में चादर बेचने के लिए आया था। लेकिन वन कर्मियों ने मारपीट कर उसे इस मुकदमें में झूँठा फंसा दिया।

अभियुक्त तारा चन्द्र ने यह कथन किया है कि वह रामनगर में भींख मांगने के लिए आया था और उसे झूँठा फंसा दिया।

अभियुक्त गिनिया ने यह कथन किया है कि वह माल बेचने वाला व्यक्ति है। रामनगर में उसने किराये पर कमरा लिया था और वहीं वन कर्मियों ने उसे झूँठा फंसा दिया।

परिवादी साक्ष्य के परिशीलन से यह सिद्व हुआ है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सावल्दे कक्ष सं0–2 में वन्य जीवों का आखेट किया।

वर्तमान समय में वन्य जीव अंगों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब बीस अरब डॉलर तक पहुँच गया है। जिसमें हाथी दांत से बनी वस्तुओं, तेदुंए की खाल तथा बाघ की अस्थियों का विशेष रूप से व्यापार किया जा रहा है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बाघ की जनसंख्या विलुप्त हो चुकी है। वाली में वर्ष 1937 में ही अन्तिम बाघ का आखेट हुआ था। जबकि जावा में वर्ष 1972 में अन्तिम बार बाघ को देखा गया। दक्षिण चीन में भी बाघों की संख्या विलुप्त प्रायः है। जो कि संख्या में 20–30 ही शेष बचे हैं।

वर्तमान समय में बाघ संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना चलाये जाने से बाघ तथा हाथी की घटित हुई संख्या पर विराम लगा है। परन्तु वन्य जीवों की घटती हुई संख्या से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यह भी सम्भावना व्यक्त की गयी है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से मानव जीवन भी समाप्त हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे अपराधो को जो वन्य जीव अंगों की तस्करी से सम्बन्धित है अथवा जिनसे वन्य

जीवों को क्षति पहुँचायी जाती है या आखेट किया जा सकता है, कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।

अतः अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र को धारा–51 सपठित धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध में दोषी पाते हुए तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवम् मुव. 10,000–10,000– अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से ही न्याय की मंशा पूर्ण हो सकेगी।

–आदेश–

1– अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया, प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान को धारा–51, 51 (1ग), 52 सपिठत धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध में दोष–मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण प्रिया एवं रियासत उर्फ मलखान जमानत पर है। उनके बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द्र को धारा–51 सपठित धारा–2, (16ख) 9, 27, 35, 38 v-4 (1), 50, 57 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध में दोषी पाते हुए तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवम् मुव. 10,000–10,000/– अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड अदा ना करने पर एक–एक माह का साधारण कारावास भोगना होगा।

3– अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त मामले में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

4– अभियुक्तगण रमेश बागड़ी, गिनिया तथा तारा चन्द का सजायाबी वारण्ट तथा अभियुक्तगण गोपी, बालकू, दरिया का रिहाई आदेश अविलम्ब तैयार कर विधिनुसार निष्पादन हेतु जेलर, सब जेल, हल्द्वानी को प्रेषित किया जावे।

Kuldeep Sharma

दिनांकः–22 अक्टूबर, 2013

(कुलदीप शर्मा),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर (नैनीताल)।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

Kuldeep Sharma 22.10.13

दिनांकः—22 अक्टूबर, 2013

(कुलदीप शर्मा),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर (नैनीताल)।